तारांकित डायरी सं. –16 / 3 / 5262
सूचीबद्ध दिनांक –07.03.2025
पुस्तक क्रमांक – 334

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर)
टेलीफैक्स. 0141–2222403, ईमेल– dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.4 (क)( ) विस / एलएसजी / 25 / 2570 दिनांक : 5/3/25

प्रमुख सचिव,
विधानसभा सचिवालय,
जयपुर।

विषय :–16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र का तारांकित प्रश्न संख्या 5262 / स्वायत्त शासन द्वारा श्री कंवर लाल (अंता) (26) माननीय सदस्य राज. विधानसभा।

प्रसंग :– आपका डायरी क्रमांक 16 / 03 / 5262 दिनांक 29.01.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है, कि विधानसभा सचिवालय से प्राप्त 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र का तारांकित प्रश्न संख्या 5262 / स्वायत्त शासन द्वारा श्री कंवर लाल (अंता) (26) मा. सदस्य के उत्तर की 20 प्रतियां संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

क्रमांक प.4 क( )विस / एलएसजी / 25 / 2571–76 दिनांक:– 5/3/25

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर (दो प्रतियों में)।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री महोदय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा.शा. विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मा. संसदीय कार्य मंत्री महोदय राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
5. प्रशासनिक सुधार, ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।
6. सुरक्षित पत्रावली।

भवदीय

(नवीन यादव)
अवर शासन सचिव

तारांकित प्रश्न संख्या 5262
सूचीबद्ध तिथि 07.03.25
पुस्तक क्रमांक 334

16वी राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र का तारांकित प्रश्न संख्या 5262 /स्वायत्त शासन श्री कंवर लाल(अन्ता)(26) माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा

<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह सही है कि नगर परिषद, बारां द्वारा वर्ष 2021 से 2024 में पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।</td><td>नगर परिषद बारां में वर्ष 2021 से 2024 तक कुल 1448 पट्टे जारी किये गये हैं। जारी किये गये पट्टों का विवरण निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th></th><th>स्टेट ग्रांट</th><th>69-ए</th><th>कच्ची बस्ती</th><th>राजकीय भूमि नियमन</th></tr>
<tr><td>2021</td><td>82</td><td>79</td><td>90</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>NIL</td><td>348</td><td>NIL</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>NIL</td><td>397</td><td>NIL</td><td>395</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>NIL</td><td>05</td><td>NIL</td><td>27</td></tr>
<tr><td></td><td>82</td><td>829</td><td>90</td><td>447</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>उक्त अवधि में नगर परिषद, बारां की भूमि के फर्जी पट्टे जारी किये जाने के संबंध में नागरिकों द्वारा प्रकरण दर्ज करवाये गये हैं? यदि हां, तो दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।</td><td>जी हां। उक्त अवधि में 4 फर्जी पट्टे जारी हुए थे यह सभी पट्टे निरस्त कर दिये गये हैं।
फर्जी पट्टों के विरूद्ध आम नागरिकों द्वारा 2 प्रकरण दर्ज करवाये गये। दर्ज करवाये गये प्रकरणों का तथा निरस्त किये गये पट्टों का विवरण, पट्टा निरस्ती के आदेशों की प्रति, दैनिक समाचार पत्र में इस बाबत हुए प्रकाशन की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि में उक्त फर्जी पट्टे जारी करने वाले अधिकारी तथा तत्कालीन सभापति के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।</td><td>उक्त प्रकरणों में एक प्रकरण संख्या 509/2024 में क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग कोटा से जांच करवाई गई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
दूसरे प्रकरण संख्या 12/2025 में जिला कलेक्टर, बारां से जांच करवाई जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट – अ

<u>नगरपरिषद बारां फर्जी पट्टे जारी करने से संबंधित शिकायतों की सूची</u>

क. स.	नगरीय निकाय	विषय	फरियादी	आरोपी
1	नगर परिषद बारां।	नगरपरिषद बारां द्वारा मेलाफायड़ योजना से सरकारी, गबन, भूमि घोटाला, फर्जीवाड़ा, धोखाधडी, राजस्व हानि, कूटरचना चोरी, साक्ष्य गायब कर, श्री कुशलप्रसाद शर्मा को पट्टा जारी करने के संबंध में।	श्री शिवराज महावर पार्षद नगरपरिषद बारां।	सभापति, आयुक्त, कनिष्ठ अभियंता, भूमि विक्रय शाखा प्रभारी, डाक शाखा प्रभारी।
2.	नगर परिषद बारां।	नगरपरिषद, बारां में सभापति ज्योति पारस द्वारा किये नियमविरूद्ध कार्य, गबन, घोटाले, राजस्व हानि साक्ष्य गायब कर, श्री प्रभुलाल खटीक के नाम से पट्टा जारी करने के संबंध में।	श्री तेजस सुमन निवासी बारां।	सभापति, तत्का0. आयुक्त, भूमि शाखा बाबू, कनिष्ठ अभियंता, डाक बाबू।

Signature valid
Digitally signed by Vinit Kumar Sukhadiya
Designation : Assistant Director
Date: 2025.03.04 13:44:05 IST
Reason: Approved

प्रश्न संख्या 5262 माननीय सदस्य श्री कंवर लाल मीणा (अन्ता)

बिन्दु संख्या 2 :– चार फर्जी पट्टे जारी हुए थे। जिनको संज्ञान में आने पर निरस्त कर दिया गया हैं।

क्र. सं	नाम	क्षेत्रफल	निरस्तीकरण के आदेश
1	श्री बसन्त कुमार नामा पुत्र श्री देवलाल निवासी बारां	166.66 वर्गगज	6808 / 19.10.2022 व 7456–57 दिनांक 10.11.2022
2	श्री कुशलप्रसाद पुत्र श्री नन्दकिशोर निवासी बारां	166.66 वर्गगज	6809 / 19.10.2022 व 7456–57 दिनांक 10.11.2022
3	श्री प्रभुलाल खटीक पुत्र श्री पन्नालाल निवासी बारां	166.66 वर्गगज	6810 / 19.10.2022 व 7456–57 दिनांक 10.11.2022
4	श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नि श्री गुलशन डंग निवासी बारां	166.66 वर्गगज	6913 / 21.10.2022 व 7456–57 दिनांक 10.11.2022

प्रत्रादि आदेश संलग्न हैं।

आयुक्त
नगर परिषद, बारां

कार्यालय नगर परिषद बारां

स्टेशन रोड, बारां (राज0)

nagarpalikabaran@gmail.com

Phone : 07453-230400

क्रमांक :- नपबा / भूमि शाखा / 2022 / 6913

दिनांक :- 21/10/2022

श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नि गुलशन
निवासी बारां।

विषय :– नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73–ख के अन्तर्गत अस्पताल रोड बारां स्थित भूमि का पट्टा निरस्त करने बाबत्।

महोदय

जर्ये नोटिस आपको सूचित किया जाता हैं कि गलत तथ्यो के आधार पर अस्पताल रोड बारां स्थित नगर परिषद के स्वामित्व भूमि का आवासीय पट्टा हस्ताक्षरित करवाया गया हैं। नगर पालिका अधिनियम की धारा 73–ख के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारो के अन्तर्गत पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जानी हैं। इस प्रक्रिया में आपको कोई आपत्ति आक्षेप हो तो सात यौम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में प्रस्तुत कर सकते है। आक्षेप / आपत्ति प्रस्तुत नही करने की सूरत में पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसका कोई उज्र मान्य नही होगा।

सूचित हो

आयुक्त
नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर परिषद बारां

स्टेशन रोड, बारां (राज0)

nagarpalikabaran@gmail.com

Phone : 07453-230400

क्रमांक – नपबा/भूमि शाखा/2022/6808 दिनांक – 19-10-2022

बसन्त कुमार नामा पुत्र देवलाल
निवासी बारां।

विषय :– नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73–ख के अन्तर्गत अस्पताल रोड बारां स्थित भूमि का पट्टा निरस्त करने बाबत्।

महोदय

जर्ये नोटिस आपको सूचित किया जाता हैं कि गलत तथ्यो के आधार पर अस्पताल रोड बारां स्थित नगर परिषद के स्वामित्व भूमि का आवासीय पट्टा हस्ताक्षरित करवाया गया हैं। नगर पालिका अधिनियम की धारा 73–ख के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारो के अर्न्तगत पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जानी हैं। इस प्रक्रिया मे आपको कोई आपत्ति आक्षेप हो तो सात योम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत नही करने की सूरत में पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसका कोई उज्र मान्य नही होगा।

सूचित हो

आयुक्त
नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर परिषद बारां

स्टेशन रोड, बारां (राज0)

nagarpalikabaran@gmail.com

Phone : 07453 230400

क्रमांक :- नपबा / भूमि शाखा / 2022 / 6809

दिनांक 19/10/2022

कुशलप्रसाद पुत्र नन्दकिशोर
निवासी बारां।

विषय :- नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73- ख के अन्तर्गत अस्पताल रोड बारां स्थित भूमि का पट्टा निरस्त करने बावत।

महोदय

जर्ये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि गलत तथ्यों के आधार पर अस्पताल रोड **बारां स्थित** नगर परिषद के स्वामित्व भूमि का आवासीय पट्टा हस्ताक्षरित करवाया गया हैं। **नगर पालिका अधिनियम** की धारा 73--ख के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारो के अन्तर्गत पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जानी हैं। इस प्रक्रिया में आपको कोई आपत्ति आक्षेप हो तो सात योम में **अधोहस्ताक्षरकर्ता** के समक्ष लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। आक्षेप / आपत्ति प्रस्तुत नही करने की सूरत में पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसका कोई उज्र मान्य नही होगा।

सूचित हो

आयुक्त
नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर परिषद बारां

स्टेशन रोड, बारां (राज0)

nagarpalikabaran@gmail.com
Phone : 07453-230400

क्रमांक नपबा / भूमि शाखा / 2022 / 6810

दिनांक :- 19/10/2022

प्रभुलाल खटीक पुत्र पन्नालाल
निवासी बारां।

विषय :- नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73-ख के अन्तर्गत अस्पताल रोड़ बारां स्थित भूमि का पट्टा निरस्त करने बाबत्।

महोदय

जर्ये नोटिस आपको सूचित किया जाता हैं कि गलत तथ्यो के आधार पर अस्पताल रोड़ बारां स्थित नगर परिषद के स्वामित्व भूमि का आवासीय पट्टा हस्ताक्षरित करवाया गया हैं। नगर पालिका अधिनियम की धारा 73-ख के तहत बोर्ड को प्राप्त अधिकारो के अर्न्तगत पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जानी हैं। इस प्रक्रिया में आपको कोई आपत्ति आक्षेप हो तो सात योम में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। आक्षेप/आपत्ति प्रस्तुत नही करने की सूरत में पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसका कोई उज्र मान्य नही होगा।

सूचित हो

आयुक्त
नगर परिषद बारां

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय नगर परिषद बारां

स्टेशन रोड़, बारां (राज0)

स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर

nagarpalikabaran@gmail.com

Phone : 07453-230106

क्रमांक :– नपबा / 2022 / 7456–57

दिनांक : 10.11.2022

–:: सार्वजनिक सूचना ::–

1. श्री बसन्त कुमार नामा पुत्र देवलाल 2. श्री कुशल प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर 3. श्री प्रभुलाल खटीक पुत्र पन्नालाल 4. श्रीमति कृष्णा कुमारी पत्नी गुलशन निवासीगण बारां द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के पास हॉस्पीटल रोड स्थित नगर परिषद की स्वामित्व की भूमि का पट्टा गलत तथ्यो के आधार पर हस्ताक्षरित करवाया गया था। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73–ख के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो के तहत इस कार्यालय के पत्र द्वारा संबंधितो को नोटिस जारी किया गया। उचित मौका स्थिति प्रमाणित सबूत दस्तावेज के अभाव मे एफ न0 प0 कार्यालय से पट्टा डिस्पेच नही होने से श्री बसन्त कुमार नामा पुत्र देवलाल नामा, श्री कुशल प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर, प्रभुलाल खटीक पुत्र पन्नालाल, श्रीमति कृष्णा कुमारी पत्नी गुलशन निवासीगण बारां के अस्पताल रोड अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित न0 प0 के स्वामित्व की राजकीय भूमि के हस्ताक्षरित पट्टे तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

आयुक्त
नगर परिषद बारां

क्रमांक :– नपबा / 2022 /

दिनांक :–

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. राजस्थान संवाद को भेज कर लेख है कि राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्तरीय सामाचार-पत्र मे प्रकाशित करने का श्रम करें।
2. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)

स्टेशन रोड, बारां (राज.), E-Mail : nasarpalikabaran@gmail.com, Phone : 07453-230106

क्रमांक :- सचना/2022/7458 - 87 दिनांक :- 10/11/2022

सार्वजनिक सूचना

1. श्री बसन्त कुमार नागा पुत्र देवलाल 2. श्री कुशाल प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर 3. श्री प्रभुलाल खटीक पुत्र पन्नालाल 4. श्रीमति कृष्णा कुमारी पत्नी गुलशन निवासीगण बारां द्वारा अग्रवाल धर्मशाला के पास हॉस्पिटल रोड स्थित नगर परिषद की स्वामित्व की भूमि का पट्टा गलत तथ्यों के आधार पर हस्ताक्षरित करवाया गया था। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73-ख के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत इस कार्यालय के पत्र द्वारा पट्टाधारियों को नोटिस जारी किया गया। उचित मौका स्थित प्रमाणित सबूत दस्तावेज के अभाव में एवं न.प. कार्यालय से पट्टा डिस्पेच नहीं होने से श्री बसन्त कुमार नागा पुत्र देवलाल, श्री कुशाल प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर, श्री प्रभुलाल खटीक पुत्र पन्नालाल, श्रीमति कृष्णा कुमारी पत्नी गुलशन निवासीगण बारां के अस्पताल रोड अग्रवाल धर्मशाला के पास स्थित न.प. के स्वामित्व की राजकीय भूमि के हस्ताक्षरित पट्टे तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

आयुक्त,
नगर परिषद बारां

सूच.संवाद/सी/22/11088